

1.45020/01/2014-Pers-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
Police.II Division

North Block, New Delhi
Dated the 14th July, 2014

To

Shri Jagdish Singh,
Gram Khuthi, PO: Daulat Nagar via Sadat,
Distt. Ghazipur, UP – 275204

Subject:- RTI, Act, 2005 - Re-fixation of pension as per 6th Pay Commission – regarding.

Sir,

Please refer to your appeal dated nil (received in MHA on 02.07.2014) for providing information of your RTI application dated 21.03.2014 on the subject cited above.

2. In this connection, you are informed that your RTI application dated 21.03.2014 has been received by the undersigned on 03.07.2014 only through RTI Cell, MHA vide their OM dated 11.04.2014. Your appeal dated nil has been received on 02.07.2014. Therefore, your RTI application and the appeal are being disposed off simultaneously by this reply.

3. With reference to the information sought by you, it is informed that your letter/petition dated nil was received through Prime Minister's office on 17.02.2014 and sent to CRPF Directorate, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi on 28.02.2014, as reply/action was falling in the domain of CRPF. Therefore, your aforesaid RTI application is being transferred under Section 6(3) of the RTI, Act, 2005 to CPIO, CRPF for giving a reply/information directly to you.

4. In case you are not satisfied with this reply, the appeal in the case lies with Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Joint Secretary (Police-II), MHA. The appeal may be filed within 30 days from the date of receipt of this reply.

Yours faithfully,



(Shantanu)

Director (Pers) & CPIO
23092933

:02:

Copy along with a copy of RTI application dated nil of Shri Jagdish Singh is transferred under Section 6(3) of RTI, Act, 2005 to:-

1. Ms. Anupam Kulshreshtha, DIGP(Adm) & CPIO, CRPF, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi for giving a reply directly to the applicant on above dated RTI application.
2. IT Cell, MHA for uploading the data on MHA's website.



(Shantanu)
Director (Pers) & CPIO
23092933

Copy for info and n/a to:-

1. PS to JS(P.II)
2. PS to Dir(Pers)

17/7/2014

आपको

निदेशन (आमिन) / उपरीत प्राधिकार
गृह मंत्रालय
नया दिल्ली, नई दिल्ली

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19 के तहत
अपील

महोदय,

उद्देश्य के अन्तर्गत आपका आवेदन प्राप्त हुआ है।
21.3.2014 के आवेदन-पत्र जिसमें गृह मंत्रालय के
दिनांक 11.4.2014 के आदेशों का शीर्षक है
सं-43020/01/2014 - आर. टी. आई द्वारा
निदेशन (आमिन), गृह मंत्रालय को अंतरित किया गया।
मेरे दिनांक 21.3.2014 के आवेदन-पत्र में
आर. टी. आई सूचना अभी तक उदात्त नहीं की गई है।
उपरोक्त के आदेशों में धारा 19 के तहत अपील
प्रस्तुत की जा रही है।

Dir (Pers.)
US/Personality

21/7/14

VC RFW
~~Signature~~

संलग्नक: आवेदन पत्र

दिनांक

भवदीय
जगदीश सिंह
(जगदीश सिंह)
गांव खुटही, दौलतनगर
वाचा सादात, गजनी पुर
उत्तर प्रदेश - 275 204

As per entry made on
R&I Register PMO US
No. 2314/2014-PMO/275 Dated
5/2/2014 was sent to Pers-II Section
vide Dy no. 332 Dtd 17/2/2014 (copy enclosed).
Therefore, the RTI Application is marked to
Pers-II Section.

PA 5/3/2014

US (Pers-II)

सेवा में

(21)

प्रधान मंत्री महोदय
प्रधान मंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु अनुरोध

महोदय,

निवेदन है कि छठे वेतन आयोग के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की पेंशन भुगतान के संबंध में गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय को किये गये अनुरोध के संबंध निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें -

1. प्रधान मंत्री कार्यालय को किये गये अनुरोध जो गृह सचिव, गृह मंत्रालय को यथोचित कार्रवाई हेतु भेजा गया है (प्रति संलग्न) पर सीआरपीएफ गृह मंत्रालय द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी सूचना/रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें।
2. कार्यालय निदेशक लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीआरपीएफ को किये गये अनुरोध (प्रति संलग्न) पर सीआरपीएफ गृह मंत्रालय द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी सूचना/रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें।
3. क्या अधोहस्ताक्षरी छठे वेतन आयोग में सीआरपीएफ से लान्स नायक एवं नायक पद समाप्त कर हवलदार का पद देने पर हवलदार पद के आधार पर पेंशन का अधिकारी है, यदि हाँ तो इस पद के अनुसार ग्रेड पे मान क्यों नहीं दिया गया?
4. इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु किसी अधिकारी/ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। अधिकारी/कार्यालय के नाम, पता, फोन, फैक्स इत्यादि विवरण देने की कृपा करें।

दिनांक 21.3.2014

प्रार्थी
जगदीश सिंह
(जगदीश सिंह)

रैंक नायक, ग्राम खुटही
पोस्ट दौलतनगर, बाया सादात
जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 275 204

संलग्नक:

1. सेवा मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति
2. पेंशन पेमेंट आर्डर (पीडीओ) की छाया प्रति
3. बटालियन कार्यालय आदेश की छाया प्रति
4. प्रधान मंत्री कार्यालय को सम्बोधित शिकायत पत्र की प्रति
5. कार्यालय निदेशक लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीआरपीएफ को सम्बोधित शिकायत पत्र की प्रति



प्रधान मंत्री कार्यालय

Prime Minister's Office

नई दिल्ली - 110001
New Delhi - 110001
Dated: 05-02-2014

No: 23/4/2014-PMP1/19275

Sir,

I am desired to acknowledge the receipt of your letter dated nil received in this office and to inform that it is being forwarded to the HOME SECRETARY, M/O HOME AFFAIRS for action as appropriate.

Yours faithfully,


[V.B. HARIHARAN]
SECTION OFFICER

Sh. JAGDISH SINGH
GRAM KHUTHI POST DAULATNAGAR VIA SADAT DISTT.
GHAZIPUR, U.P.

प्रेषक-

जगदीश सिंह

रैंक- नायक

ग्राम-खुटही

पो0-दौलतनगर वाया सादात

जिला- गाजीपुर पिन-275204

सेवा में-

भारत सरकार (गृह मंत्रालय)

कार्यालय निदेशक लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालय

कै0रि0पु0बल महावीरनगर, तिलकनगर

नई दिल्ली

विषय- जगदीश सिंह रैंक नायक फोर्स न0 630071339 ग्राम- खुटहीं पोस्ट- दौलतनगर, जिला-गाजीपुर को छटा वेतन आयोग की संस्तुतियों के सापेक्ष हवलदार रैंक की ग्रेड पे न प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं जगदीश सिंह C.R.P.F No. 630071339 रैंक नायक ग्राम खुटहीं पोस्ट दौलतनगर गाजीपुर का निवासी हूँ। मैंने स्वीच्छिक सेवा निवृत्ति दिनांक-01.12.1991 को ग्रहण की। सेवा निवृत्ति के बाद मेरी पेंशन नायक पद के सापेक्ष रू0 550=00 निर्धारित की गई। मेरा P.D.O. न0 239039206286 है।

सेवा निवृत्ति के समय मेरी बेसिक पेंशन 551=00 रू0 नायक पद के अनुरूप थी किन्तु छटवों वेतन आयोग में मूल वेतन 5200-70200 के सापेक्ष मुझे ग्रेड पे मान 1900=00 दिया गया है आप से अनुरोध है कि C.R.P.F से लान्स नायक एवं नायक का पद समाप्त कर हवलदार का पद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में मुझे हवलदार का ग्रेड पे छटवों वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पाना चाहिए, किन्तु मुझे केवल पे ग्रेड 1900=00 दिया गया है।

अतः आप से प्रार्थना है कि छटवों वेतन आयोग के अनुसार हवलदार का पे ग्रेड लगाकर एरियर के साथ (1 जनवरी 2006) से पेंशन भुगतान का आर्डर निर्गत करने का कष्ट करें।

प्रार्थी-

जगदीश सिंह

जगदीश सिंह

संलग्नक-

1. सेवा मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति।
2. पेंशन पेमेण्ट आर्डर (P.D.O) की छाया प्रति।
3. वटालियन कार्यालय आदेश की छाया प्रति।

26

Date: 10/05/2012 120590675

Dy. Director(A/Cs)CRPF, New Delhi.
HOME AFFAIRS,
Mahavir Nagar, New Delhi,
110018

Sixth Pay Commission
E-Authority: VOLUNTARY
19/05/2012

To,
The Pay & Accounts Officer
Central Pension Accounting Office
Min. of Finance Govt of India,
Taj mahal complex, Shikaji, Cama Place
R K Puram, New Delhi - 110066

Subject: Revision of Pension of SINGH SHRI JAGDISH Date of birth 29/07/1940 holder of PPO No. 239039206286 retired on 30/11/1991
Sir/Madam:

I request you to make arrangement for carrying out the modifications in both the halves of the said PPO as detailed below consequent upon the recommendations of the 6th pay commission

- (a) Pay Structure i.e. (i) Pay Band: 5200-20200 (ii) Grade Pay: 1900
- (b) Net Qualifying Service: 32 Years and 11 Days.
- (c) Revised Pension Rs. 3829
- (d) Revised Pension Commuted: Rs 183
- (e) Revised Reduced Pension after Commutation Rs 3646 effective from 01/01/2006 or as applicable

Revised Family Pension details: Not Applicable

3. Additional Pension/Family pension (60 years and above) as applicable from time to time plus Dearness Relief as applicable from time to time

Constant Attendant Allowance (No Dearness relief is admissible)

4. Details of Disbursing Bank

i. Name of Bank	STATE BANK OF INDIA
ii. Name of the Paying Branch	GHAZIPUR
iii. Account No	25496
iv. City	GHAZIPUR
v. State	UTTAR PRADESH
vi. BSR Code	0000080

Yours Faithfully,

Copy to
1 SINGH SHRI JAGDISH
VILL. KHUTEHAY, PO.
DAULATNAGAR, VIA SADAT
DIST. GHAZIPUR, U.P.

Authorized Signatory with Stamp and Special Seal
 पैमान एच लेखा अधिकारी
 PAY & ACCOUNTS OFFICER
 नैन एच लेखा इकाई, केंद्र, नैन एच लेखा नैन एच
 P.A.O. CRPF, MHA, NEW DELHI, 110018
 Authorized Signatory
 22/5

पैमान एच लेखा अधिकारी
 PAY & ACCOUNTS OFFICER
 नैन एच लेखा इकाई, केंद्र, नैन एच लेखा नैन एच
 P.A.O. CRPF, MHA, NEW DELHI, 110018

कार्यालय कमांडेंट-82वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुरा उत्तर प्रदेश
 संख्या: पीपीसीन - 19 / 91 - 82-वेसन दिनांक 22/11/1991

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियमावली 1956 के नियम-43(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमावली 1972 के नियम-48(4) के साथ पढ़ा जाए में दी गई है।
 के अधीन इस बटालियन के नं० 539371339 पद नायक नाम जगदीश सिंह
 ने 28 वर्ष 03 महीना 12 दिन की सेवा में अर्द्ध सेवा पूरी होने पर दिनांक 1/8/91 के अपने आवेदन पत्र में स्वेच्छा सेवा निवृत्ति का अनुरोध किया है।

2. निम्नों की उपर्युक्त व्यक्तियों के अधीन नं० 539371339 पद नायक नाम जगदीश सिंह के आवेदन पत्र को तीन महीने का नोटिस माना गया और दिनांक 30/11/91 से सेवा निवृत्त होने की आशुता की गई।

Handwritten signature 22/11

कमांडेंट-82वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुरा उत्तर प्रदेश

संख्या: पीपीसीन - 19 / 91 - 82-वेसन दिनांक 19/11/91

प्रतिनीतीय सुझाव एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित :-

1. कमांडेंट मास्टर-82 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुरा उत्तर प्रदेश
2. कम्पनी कमांडर "सी" / 82 बटालियन को उनके दिनांक 31/12/91 के पद निवृत्ति-1/91-सी-82 के संदर्भ में। सुझाव तर्कों एवं कार्यवाही को प्रेषित करें कि 8 दिनों में राष्ट्रीय बैंक में अपने नाम खाता सुझाएं। बैंक को लिंक ब्रांच का नाम, पता व कोड संख्या भी मांगें करें। इसके अतिरिक्त अपनी पत्नी के साथ सुझाव फोटोग्राफ की 5 प्रतियां व स्वयं की पासपोर्ट साइज की 2 फोटोग्राफ बैंक कार्यालयों के साथ जाने के लिए तैयार रखें। कर्मचारी को कौन्सिल सर्टिफिकेट के साथ दिनांक तक निवृत्त होने का कार्यवाही में सुझाव है तब तक बैंक लेन स्मूथ पर बैंक स्ट लेन कार्यवाही को प्रेषित किया जा सके।

नं० 539371339 पद नायक नाम जगदीश सिंह

को सुझाव द्वारा कम्पनी कमांडर "सी" / 82 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुरा उत्तर प्रदेश

Handwritten signature 22/11

कमांडेंट-82 वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रामपुरा उत्तर प्रदेश

ज्ञाती रहः-

स्थापना निजीपत्र-1/सेवा निवृत्ति आदेश रतौ मक/कर्मचारी निजीपत्र/नियमित निजीपत्र
 निजीपत्र/स्थापना निजीपत्र/सेवा निवृत्ति आदेश प्रदान करने की कार्यवाही करें।
 उप-निर्देशों का पालन करें।



केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

CENTRAL PENSION ACCOUNTING OFFICE
Government of India

1991/2950

PAO COPY

TRIKOOT, BHIKAI CAMP, PLACE, NEW DELHI-110068
TELEPHONE: 26174438, 26174456, 26174455 FAX: 011-26167326

Toll Free No. 1800-11-77-91

REVISION AUTHORITY FOR CENTRAL CIVIL PENSIONS

NO. 239039206286/1943014/12

Date: 11/JUN/2012

To,
THE MANAGER,
STATE BANK OF INDIA,
Centralised Pension Processing Centre,
SBI Sector-1 Jankipuram
Lucknow, UTTAR PRADESH, PIN-226021

RE: REVISION OF PENSION OF SINGH SHRI JAGDISH, HOLDER OF PPO NUMBER: 239039206286
AT BRANCH(0000030): STATE BANK OF INDIA, GHAZIPUR, GHAZIPUR, UTTAR PRADESH, ACCOUNT
NUMBER: AC:25496

Sir/Madam,

An amendment letter No W023903120500675 DT: 19/MAY/2012 in respect of PPO mentioned above is forwarded herewith in original. The amount mentioned in this SSA may be verified from original documents for payments and modifications may be carried out in both the halves of the ppo arranged as under :

Date Of Birth(Pensioner): 12/07/1940 Pay Band: 5200-20200 ()
Grade Pay: Rs.1900/- (Rupees One Thousand Nine Hundred Only)
Last Pay Drawn: NIL
Name of Spouse: DATE OF BIRTH(Spouse):

Revised Pension (Per Month)

1. REVISED BASIC PENSION: Rs.3829/- W.E.F.: 01/JAN/2006
(Rupees Three thousand Eight Hundred Twenty Nine Only)
2. REVISED PENSION COMMUTED: Rs.183/-
(Rupees One Hundred Eighty Three Only)
3. REVISED REDUCED PENSION: Rs.3646/- W.E.F.: 01/JAN/2006
(Rupees Three Thousand Six Hundred Forty Six Only)
4. AMOUNT OF DIFFERENTIAL COMPUTATION PAYABLE: NO CHANGE
5. ADDITIONAL DEATH/RETIREMENT GRATUITY PAYABLE: NO CHANGE
6. ADDITIONAL PENSION (80 YEARS AND ABOVE): AS APPLICABLE
7. CONSTANT ATTENDANT ALLOWANCE: NIL
8. REVISED FAMILY PENSION
AT ENHANCED RATE: NO CHANGE FROM: TO:
AT NORMAL RATE: NO CHANGE FROM: TO: TILL DEATH/REMBURSEMENT
9. EFFECTIVE DATE OF REVISED FAMILY PENSION SHOWN AS 01.01.2006 IN PPO AUTHORITY MAY BE READ AS 01.01.2006

- Note :
- (a) Reduced Pension as per col. 3 will take effect from the date differential computed value is credited into the pensioner's account by the bank.
 - (b) Pension/Provisional Pension, OR Ration etc. if paid may be adjusted suitably.
 - (c) It can be allowed as admissible from time to time for people who are not re-employed
 - (d) 10th Pension/Arrears Pension amount as per GDI order issued on 6th OCT is payable.
 - (e) Pension Security/Computation Arrears should be paid in full based on this revision authority
 - (f) Please see cover for other guidelines for banks and pensioners.
 - (g) None

Yours Faithfully,

Copy Forwarded To: Diary No. PR31274079

Pay & Accounts Officer:

1. Recipient: SINGH SHRI JAGDISH
VILL- BHUTEMAY, PO-DASLATNAGAR, VIA DASAT
DIST. GHANIPUR, U.P.,
UTTAR PRADESH, PIN

2. PAO: Sp. Director (A) (PPO), New Delhi
MAHAVIP NAGAR, P.O. JILAK NAGAR.

NEW DELHI-110068

FATHER'S NAME: ...

FATHER'S NAME: ...

RELIGION: ...

HOUSE NUMBER: ...

VILLAGE: ...


POST OFFICE: ...

POLICE STATION: ...

TELEGRAPH OFFICE: ...

DISTRICT: ...

STATE: ...



1. ...

Force No. ...

Rank ...

Name ...

PART I - PARTICULARS OF SERVICE OF THE PENSIONER/DISEASED GOVERNMENT SERVANT

- Name of the Government servant: Jagdisk Singh
- Date of Birth: 23-7-1916
- Date of entry into Government service: 1-2-1943
- Date of ending service: 2-11-51
- Details of weightage in service allowed: 30% (1943-51)
- Period of service not qualifying for pension: 6 Months

Sl. No.	From	To	Rate		Total
			Per Annum	Per Month	
1	1-2-43	31-1-51	6	0	6

8. Total length of qualifying service: 32 Years

9. Total length of qualifying service Col. (5-6) + (6-7): 32 Years

Sum of pension/family pension ac Rs. 10000 per month

plus the admissible dearness relief thereon

Signature: [Signature]

For the Pensioner (Father): J. Singh, District Officer

For the Government (Director, Pensioners' Welfare): [Signature]

Director, Pensioners' Welfare, G.O. Commission, Lucknow Board, U.P. (1951-52)

Debiting Authority whose pension is to be paid: Govt. of U.P.

File No. 25496

भारत सरकार (गृह मंत्रालय), कार्यालय निदेशक लेखा, वेतन एवं लेखा कार्यालय, केरिपुबल,
महावीर नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली

पत्र सं: PAO/MHA/CRPF/2013-14/Adm-SR(RTI)
सेवा में,

दिनांक 17 जनवरी, 2014

श्री जगदीश सिंह,
ग्राम-खुट्टी, पोस्ट-दौलतनगर,
बासा-सदात, जिला-राजीपुर,
उत्तर प्रदेश, पिन कोड- 275204 ।

विषय सूचना का अधिकार के तहत सूचना का प्रेषण ।

कृपया अपने विषयक आवेदन पत्र दिनांक 26/12/2013 एवं पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा) सह केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, महानिदेशालय, केरिपुबल के पत्र संख्या एम-गॉच-17/2013-प्रशा.एक/आरटीआई दिनांक 10/01/2014 का संदर्भ ग्रहण करें ।

2. आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जाती है:-

पैरा सं.	महैया कराई गई सूचनाएं
1	इस कार्यालय के विशेष सील प्राधिकार दिनांक 19/05/2012 (प्रति संलग्न) एवं केन्द्रीय पेंशन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली के विशेष सील प्राधिकार संख्या 1043014 दिनांक 11/6/2012 (प्रति संलग्न) के तहत छठे वेतन आयोग के अनुरूप आपका पेंशन दिनांक 01/01/2006 से रुपये 3829/- प्रतिमाह में रिवाइज किया गया है, जिसमें से रुपये 183/- सारांशीकरण के उपरांत घटी हुई दर पर रुपये 3646/- प्रतिमाह पेंशन रिवाइज की गई है । अतः आपको दिनांक 01/01/2006 से मूल रिवाइज पेंशन रुपये 3829/- पर समय-समय पर देय मंहगाई भत्ता + घटी दर पर रिवाइज पेंशन रुपये 3646/- मिलना चाहिए ।
2	यदि आपको पेंशन सारांशीकरण राशि के भुगतान होने के 15 वर्ष पूर्ण हो गये हैं तो आप पूर्ण पेंशन पाने के अधिकारी हैं ।
3	पूर्ण पेंशन पात्रता के उपरांत आपको रुपये 3829/- पेंशन एवं उस पर वर्तमान समय में देय मंहगाई भत्ता मिलना चाहिए ।
4	पेंशन सारांशीकरण राशि के पेंशनर को भुगतान होने के 15 वर्ष पूर्ण होने पर बैंक द्वारा अपने आप पेंशनर को पूर्ण पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है । यदि आपको पूर्ण पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है तो आपको अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए ।
5	पॉचथे वेतन आयोग के अनुरूप आपको दिनांक 01/01/1996 से मूल पेंशन रुपये 1694/- प्रतिमाह प्राप्त होनी चाहिए ।
6	छठे वेतन आयोग के अनुरूप आपका मूल पेंशन रुपये 3829/- प्रतिमाह रिवाइज की गई है ।
7	यदि आपको इस कार्यालय के विशेष सील प्राधिकार दिनांक 19/05/2012 द्वारा प्राधिकृत पेंशन से कम पेंशन प्राप्त हो रही है तो आप इसकी सूचना इस वेतन एवं लेखा कार्यालय को देते हुए आपको अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए ।

3. सूचना के अधिकार नियमावली-2005 के अनुच्छेद 7(8) के तहत राक्षम अपीलिय प्राधिकार मुख्य लेखा नियंत्रक, कमरा सं. 127 सी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 को अपील कर सकते हैं।

संलग्न:- 02 प्रति ।

(राजेश कुमार)

निदेशक (लेखा)/के0ज0सू0अ0

पत्र सं: PAO/MHA/CRPF/2013-14/Adm-SR(RTI)

दिनांक जनवरी, 2014

1. पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशा)/केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, महानिदेशालय, केरिपुबल को उनके पत्र संख्या एम पॉच-17/2013-प्रशा.एक/आरटीआई दिनांक 10/01/2014 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

(राजेश कुमार)

निदेशक (लेखा)/के0ज0सू0अ0

सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011


संख्या आरटीआई/1716/2014-पीएमआर

दिनांक: 21/03/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री जगदीश सिंह से प्राप्त दिनांक 21.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 21.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।


(सैयद इकराम रिज़वी)
उप सचिव एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

☎: 2307 4072

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री जगदीश सिंह
रैंक नायक, ग्राम खुटही
पोस्ट दौलतनगर, वाया सादात
जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश - 275 204

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

सं. ए-43020/01/2014-आ टी आई

भारत सरकार
बहु नवलय

दिनांक: 21/03/2014

कार्यालय नाम

Handwritten signature

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत शिकायतों का आवेदन।

अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना सुईय करने के संबंध में शिकायतों का दिनांक 21/03/2014 के आवेदन (इस संबंध में सूचना का अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 26/03/2014 के प्रकाशित सूचना का अधिनियम का निर्देश हुआ है, क्योंकि लोगों ने सूचना के अधिकारों से संबंधित है। निवेदन से संबंध रखती है। यह अनुसंध किया जाना है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी लोक अधिकारी से है, तो आवेदन को सूचित करते हुए आवेदन को लौटा कर अधिकारी को अवगत कर दिया जाये।

2. आवेदन सं 101- ए का निर्धारित शुल्क दिनांक 01.03.2014 के तहत सं 015 के तहत जमा कर दिया है (संबन्ध) नहीं किया है क्योंकि सूची में सूचना के संबंध रखती है।

Handwritten signature

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में विदेशी (अभियंता)
श्री. राजेश
आनंद 0015
40 Kp 001

सं. ए-43020/01/2014

श्री. राजेश
पोस्ट: श्री. राजेश, आनंद-275204
द्वारा: श्री. राजेश, आनंद-275204

(अनुरोध है कि इस नामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरोक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी लोक अधिकारी से संपर्क करें।)

क्रम संख्या Serial No.	प्राप्त हुए कागज की संख्या और तारीख Number and date of document received		सिद्धि प्राप्त हुना From whom received	संक्षिप्त विषय Brief Subject
	संख्या Number	तारीख Date		
1	2	3	4	5
328	7-D No. 4/1/14-219	9/11/13	7/11/13	Prime Minister's office
	Dated 03-02-2014			
329	N.A. 220/1/1/2014-1/11E	9/11/13	21/11/13	Prime Minister's office
	Dated 16-02-14			
330	ED No. 243/2014-9/11/13757	9/11/13	9/11/13	Prime Minister's office, Delhi
	Dated 03-02-2014			
331	ED No. 241/2014-9/11/13757	9/11/13	9/11/13	Prime Minister's office, Delhi
	Dated 03-02-2014			
332	ED No. 237/2014-9/11/13757	9/11/13	9/11/13	Prime Minister's office, Delhi
	Dated 03-02-2014			
333	ED No. 237/2014-9/11/13757	9/11/13	9/11/13	Prime Minister's office, Delhi
	Dated 03-02-2014			

Section Diary

(17)

महायक के नाम चिह्नित किया गया
Assistant to whom marked

फाइल संख्या
File No.

दिनांक
Date

टिप्पणी
Remarks

Kesh, Shashi Prasad, Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar

Der orders of Shri / M. Ramona, Shri / M. Ramona
UR, ASSA: (CSY) Distt - 10-10-75, M. Ramona, U.S.
M.H.D. / H.O.

This letter has been
transferred to RT.
Sardar Gak Rajah
of CP Section on 17-4-75
for sending to RT-I
(Section)

Mohd. AK Ram Khan, Distt - Basti, CUPD, Muzaffargarh

Sh. Arvind Kumar, Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar
Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar

Shri Jaydesh Singh, Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar
Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar

Sh. Anurag, Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar
Sh. Anurag, Distt - Allahabad, CUPD, Bhatnagar

PLEASE ISSUE
BRI SECTION
Hemraj
11/4/14

सं. ए-43920/01/2014-आर.डी.आर.

नगर सचिव

सुधमा नगर

पिन -

दिनांक: 11/04/14

आवेदन संख्या

संख्या/दिनांक

विषय: सुधमा नगर अधिकाृत अधिनियम, 2008 के तहत अधिकाृत...

आवेदनकर्ता का नाम: ...
आवेदन संख्या: 26/03/2014
दिनांक: 21/03/2014


आवेदन संख्या: 015
दिनांक: 01/03/2014

Received photo copy
on 3-7-14 at 12-noon

c/c

d
3-7-14
DS (PWS)

विद्यालय (अधिकाृत)
सुधमा नगर
सुधमा नगर
सुधमा नगर



DS (PWS)

सुधमा नगर
सुधमा नगर
सुधमा नगर

(ध्यान दें: सुधमा नगर अधिकाृत अधिनियम, 2008 के तहत अधिकाृत...

सूचना का अधिकार

256721/H4/14
2403

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 21/03/2014

संख्या आरटीआई/1716/2014-पीएमआर

2566/RT/2014


कार्यालय ज्ञापन

07/4/14

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री जगदीश सिंह से प्राप्त दिनांक 21.3.2014 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 21.3.2014 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

MS-2
20/3


(सैयद इकराम रिजवी)

उप सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☎: 2307 4072

JS/A)

गृह सचिव, गृह मंत्रालय
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री जगदीश सिंह
रैंक नायक, ग्राम खुटही
पोस्ट दौलतनगर, वाया सादात
जिला गाजीपुर
उत्तर प्रदेश - 275 204

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

SSU

26/3

OS RTI
SO (RTI)
26/3

OS (Person)

Sh. J

सेवा में

17/6/14 - 21 Mar 14

(11)

17/6/14

प्रधान मंत्री महोदय
प्रधान मंत्री कार्यालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु अनुरोध

महोदय,

निवेदन है कि छोटे वेतन आयोग के अनुसार अधोहस्ताक्षरी की पेंशन भुगतान के संबंध में गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय को किये गये अनुरोध के संबंध निम्नलिखित सूचना प्रदान करने की कृपा करें -

1. प्रधान मंत्री कार्यालय को किये गये अनुरोध जो गृह सचिव, गृह मंत्रालय को यथोचित कार्रवाई हेतु भेजा गया है (प्रति संलग्न) पर सीआरपीएफ गृह मंत्रालय द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी सूचना/रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें।
 2. कार्यालय निदेशक लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीआरपीएफ को किये गये अनुरोध (प्रति संलग्न) पर सीआरपीएफ गृह मंत्रालय द्वारा कृत कार्रवाई संबंधी सूचना/रिपोर्ट की प्रति प्रदान करें।
 3. क्या अधोहस्ताक्षरी छोटे वेतन आयोग में सीआरपीएफ से लान्स नायक एवं नायक पद समाप्त कर हवलदार का पद देने पर हवलदार पद के आधार पर पेंशन का अधिकारी है, यदि हाँ तो इस पद के अनुसार ग्रेड पे मान क्यों नहीं दिया गया?
 4. इस संबंध में स्पष्टीकरण हेतु किस अधिकारी/ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
3. अधिकारी/कार्यालय के नाम, पता, फोन, फैक्स इत्यादि विवरण देने की कृपा करें।

दिनांक 21.3.2014

प्रार्थी
जगदीश सिंह
(जगदीश सिंह)

रैंक नायक, ग्राम खुटही
पोस्ट दौलतनगर, वाया सादात
जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश - 275 204

संलग्नक:

1. सेवा मुक्त प्रमाण पत्र की छाया प्रति
2. पेंशन पेमेंट आर्डर (पीडीओ) की छाया प्रति
3. बटालियन कार्यालय आदेश की छाया प्रति
4. प्रधान मंत्री कार्यालय को सम्बोधित शिकायत पत्र की प्रति
5. कार्यालय निदेशक लेखा वेतन एवं लेखा कार्यालय, सीआरपीएफ को सम्बोधित शिकायत पत्र की प्रति

1444
Recd. 21/3/14

16380
21/03/14
26/03/14